न्यायालयः वाणिज्यिक न्यायालय क्रम 2, जयपुर महानगर द्वितीय

प्रकरण संख्या — 137/2018
सीआईएस नं. — 73/2018

मनीष व्यास ——प्रार्थी/क्लेमेंट

बनाम

सोहन लाल सिहाग ——अप्रार्थी/नॉन–क्लेमेंटस

प्रार्थना पत्र वृहद् पीठ के प्रश्नों के निस्तारण तक, आपत्ति याचिका स्थगित किए जाने हेतु

उपस्थितिः
1. विद्वान अधिवक्ता श्री यश शर्मा, प्रार्थी की ओर से।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री पी.सी.जैन, अप्रार्थी की ओर से।

आदेश **दिनांक– 23.10.2024**

1. प्रार्थी की ओर से दिनांक 29.04.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 (जिसे आगे आदेश में अधिनियम, 1996 से उल्लेखित किया जाएगा) की धारा 34 के तहत प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, अन्य तथ्यों के साथ–साथ आवेदन के ज्ञापन में निर्दिष्ट सीमित सीमा तक विद्वान मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 21.04.2018 के अवार्ड को चुनौती दी है। आपत्ति याचिका के माध्यम से, प्रार्थीगण ने 21.04.2018 के अवार्ड को अस्वीकार किए जाने की सीमा तक संशोधित करने की मांग की है। प्रार्थी द्वारा उल्लेख किया गया कि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अनुमति अपील (सी) संख्या 15336– 15337/2021 अनुवान –गायत्री बालासामी यू.एस. मैसर्स आईएसजी नोवासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, के लिए याचिकाओं में दिनांक 20.02.2024 के आदेश के तहत, निम्नलिखित प्रश्नों को ,इसके निर्धारण के लिए एक बड़ी पीठ को भेजा हैः

- क्या मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 और 37 के तहत न्यायालय की शक्तियों में मध्यस्थता अवॉर्ड को संशोधित करने की शक्ति शामिल होगी?
- यदि अवार्ड को संशोधित करने की शक्ति उपलब्ध है, तो क्या ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब अवार्ड पृथक करने योग्य हो तथा उसके किसी भाग को संशोधित किया जा सके?
- क्या अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत किसी अवॉर्ड को रद्द करने की शक्ति, जो एक वृहद शक्ति है, में मध्यस्थता अवार्ड को संशोधित करने की शक्ति भी सम्मिलित होगी और यदि हां, तो किस सीमा तक?
- क्या किसी अवॉर्ड को संशोधित करने की शक्ति को अधिनियम की धारा 34 के तहत अवॉर्ड को रद्द करने की शक्ति में शामिल किया जा सकता है?
- क्या इस न्यायालय द्वारा एनएचएआई के परियोजना निदेशक यू.एस. एम. हकीम के मामले में दिए गए निर्णय, जिसका अनुसरण लार्सन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन कंपनी बनाम भारत संघ और एसवी समुद्रम बनाम कर्नाटक राज्य में किया गया, सही कानून निर्धारित करते हैं, जैसा कि दो न्यायाधीशों की अन्य

पीठों (वेदांता लिमिटेड बनाम शेन्जडेन शांडोंग न्यूक्लियर पावर कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम केरल राज्य और एम.पी. पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड बनाम एंसाल्डो एनर्जिया स्पा) और तीन न्यायाधीशों (जे.सी. बुधराजा बनाम अध्यक्ष, नोरिसा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टाटा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ और शक्ति नाथ बनाम अल्फा टाइगर साइप्रस इन्वेस्टमेंट नंबर 3 लिमिटेड) ने किया था। क्या इस न्यायालय ने विचाराधीन मध्यस्थता अवॉर्डों में संशोधन किया है या संशोधन को स्वीकार किया है?

2. चूंकि प्रार्थीगण, आपत्ति याचिका के माध्यम से, अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत , आक्षेपित अवार्ड में संशोधन की मांग कर रहे हैं, और यह एक कानूनी प्रश्न है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी पीठ के समक्ष निर्धारण के लिए लंबित है, इसलिए यह न्याय के हित में होगा कि अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत दायर आपत्ति याचिका को, तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाए, जब तक कि उपरोक्त कानूनी प्रश्नों का उत्तर वृह्द पीठ द्वारा नहीं दे दिया जाता। इससे अप्रार्थी को कोई नुकसान भी नहीं होगा। यदि आपत्ति याचिका पर, वृह्द पीठ के निर्णय से पहले निर्णय लिया जाता है, तो इससे उस निर्णय से विरोधाभासी/विपरीत दृष्टिकोण उत्पन्न हो सकता है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वृह्द पीठ संदर्भित उत्तर देते समय ले सकती है। इसलिए, हस्तगत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाए और अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत वर्तमान आपत्ति याचिका प्रार्थना पत्र को, संदर्भित लंबित मामले के अंतिम निर्णय तक स्थगित किए जाने का निवेदन किया गया।

3. अप्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं सीधे बहस की अनुमति चाही गई।

4. प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि, हस्तगत प्रार्थना पत्र, अधिनियम, 1996 की धारा 34 की पत्रावली में प्रस्तुत किया गया है। यह भी निवेदन किया गया कि अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अधीन, मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अवार्ड को संशोधित किए जा सकने के क्रम में, वृह्द पीठ को प्रश्न भेज रखे हैं। हस्तगत प्रकरण में भी, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी विचारणीय प्रश्न के समान ही है और हस्तगत प्रकरण को भी माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त प्रश्नों के निर्धारत तक, हस्तगत प्रकरण को स्थगित कर दिया जावे। विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए गए–

(1) Gayatri Balasamy Vs. M/s ISG Novasoft Technologies Limited, Petitions for Special leave to Appeal(c) Nos615336-15337/2021

(2) The State of Kerala Vs. M. Karunakaran Etc., SLP (CrI) No.(s) 6241-6242/2022 @ D.No.6034 of 2020

(3) Pardeep Kumar Rapria Vs. State of Haryana and others , Neutral Citation No:=2015: PHHC-041582

5. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि, प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मात्र संभावना के आधार पर प्रस्तुत किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अधीन आक्षेपित

अवार्ड को संशोधित नहीं किया जा सकता है, के बारे में स्पष्ट और स्थापित न्यायिक दृष्टांत हैं। उन न्यायिक दृष्टांतों को माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी तक रोका नहीं है। प्रार्थी द्वारा संभावना में ही यह मान लिया गया है कि, प्रकरण में चुनौती दिया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार हो जाएगा तथा अवार्ड को संशोधित किए जाने का आदेश दिया जाएगा, जबकि अभी तक प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष ही लंबित है, जिसमें अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अधीन प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार होगा अथवा नहीं, यह भी विवादग्रस्त है। अतः प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

6. उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं संदर्भित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन कर उचित मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

7. हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अधीन आक्षेपित अवार्ड को चुनौती देते हुए,संशोधित किए जाने की प्रार्थना की गई है। साथ ही उक्त प्रकरण इस न्यायालय के Targeted प्रकरणों में से एक है। प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से मूलतः प्रार्थना यह की गई है कि, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अधीन अवॉर्ड को संशोधित किया जा सकता है अथवा नहीं, का प्रश्न वृह्द पीठ को रैफर किया हुआ है। इस आधार पर हस्तगत आपत्ति याचिका की कार्यवाही वृह्द पीठ के निर्णय तक स्थगित की जावे।

8. इस क्रम में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ माननीय उच्चत न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन सुसंगत है–

9. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत Gayatri Balasamy Vs. M/s ISG Novasoft Technologies Limited के पैरा–3 में बिंदु संख्या–5 पर यह स्पष्ट अंकन किया गया है कि–

> 5. Whether the judgment of this Court in Project Director NHAI US. M. Hakeem, followed in Larsen Air Conditioning and Refrigeration Company vs. Union of India and SV Samudram vs. State of Karnataka lay down the correct law, as other benchesof two Judges (in Vedanta Limited vs. Shenzden Shandong Nuclear Power Construction Company Limited, Oriental Structural Engineers Pvt. Ltd. vs. State of Kerala and M.P. Power Generation Co. Ltd. vs. Ansaldo Energia Spa) and three Judges (in J.C. Budhraja vs. Chairman, Norissa Mining Corporation Ltd., Tata Hydroelectric Power Supply Co. Ltd. vs. Union of India and Shakti Nath vs. Alpha Tiger Cyprus Investment No.3 Ltd.) of this Court have either modified or accepted modification of the arbitral awards under consideration?"

10. उक्त न्यायिक दृष्टांत के उक्त पैरा से यह स्पष्ट है कि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, वृह्द पीठ के समक्ष अवार्ड को संशोधित करने का प्रश्न रखा है।

उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्चतम न्यायलय द्वारा पूर्व में पारित निर्णयों– Project Director NHAI US. M. Hakeem, Air Conditioning and Refrigeration Company vs. Union of India and SV Samudram vs. State of Karnataka, Vedanta Limited vs. Shenzden Shandong Nuclear Power Construction Company Limited, Oriental Structural Engineers Pvt. Ltd. vs. State of Kerala, M.P. Power Generation Co. Ltd. vs. Ansaldo Energia Spa, J.C. Budhraja vs. Chairman, Norissa Mining Corporation Ltd., Tata Hydroelectric Power Supply Co. Ltd. vs. Union of India and Shakti Nath vs. Alpha Tiger Cyprus Investment No.3 Ltd. के आदेश व क्रियान्विति पर कोई भी रोक नहीं लगाई है। परिणामतः उक्त न्यायिक दृष्टांत आज भी प्रभाव में हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा , अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अधीन लंबित याचिकाओं को रोकने व स्थगित करने के संबंध में भी कोई निर्देश नहीं हैं।

11. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत The State of Kerala Vs. M. Karunakaran Etc., SLP (CrI) No.(s) 6241-6242/2022 @ D.No.6034 of 2020 के अधीन भी अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष लंबित अधिनियम, 1996 की धारा 34 के प्रकरणों को स्थगित किए जाने के बारे में कोई निर्देश नहीं है और माननीय पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत Pardeep Kumar Rapria Vs. State of Haryana and others , Neutral Citation No:=2015: PHHC-041582 में भी अधीनस्थ न्यायालयों में अधिनियम, 1996 की धारा 34 की याचिका को स्थगित करने के कोई निर्देश नहीं हैं।

12. प्रार्थी के हस्तगत प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि, प्रार्थी की यह प्रार्थना है कि, धारा 34 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने के पश्चात, आक्षेपित अवॉर्ड में संशोधन किया जाये अथवा नहीं किया जाये, का प्रश्न उत्पन्न होता है, परंतु अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अधीन प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति याचिका माने जाने योग्य है अथवा नहीं, यही प्रश्न अभी न्यायालय के समक्ष लंबित है। ऐसी दशा में प्रार्थी की यह प्रार्थना माने जाने योग्य नहीं है।

13. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा आपत्ति याचिका को स्थगित किए जाने हेतु प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर, खारिज किया जाता है। पक्षकारान को निर्देश दिया जाता है कि, आईंदा प्रकरण में त्वरिता से कार्यवाही में भाग लें।

14. प्रार्थना पत्र का व्यय पक्षकारान् स्वयं वहन करेंगें।

15. आदेश आज दिनांक 23.10.2024 को लिखवाया जाकर, हस्ताक्षरित कर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Upendra Sharma
Digitally signed by Upendra Sharma

(उपेन्द्र शर्मा)
न्यायाधीश,
वाणिज्यिक न्यायालय क्रम 2,
जयपुर महानगर, द्वितीय